

वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय :-वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाष / फ़ैक्स नं० 01733-230537

e-mail-dfomorni@gmail.com

क्रमांक:- 11667
सेवा में:-

दिनांक:- 09-02-2022


Smt.Deepa Sharma,
322, Sector-12, Panchkula-134112

विषय:- Diversion of 0.0838 Ha of Our Private land enclosed in Section 4&5 for the Construction of Non-Commercial (40 Feet X 50 Feet) Size Room set (for Personal Use) in Village - Bass Bhudi, Bhoj - Dharti, Tehsil - Morni, Distt. - Panchkula (HR) (FP/HR/Others/145730/2021)

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि आप द्वारा पंजाब भू-संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 में बंद भूमि को डाईवर्ट करने हेतु केस ऑनलाईन पोर्टल www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपलाई किया है। वन राजिक अधिकारी, मोरनी की रिपोर्ट अनुसार आप द्वारा उक्त भूमि पर मकान का निर्माण किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 18.03.2004 के अनुसार पंजाब भू-संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 में बंद भूमि को वन भूमि समझा जायेगा तथा उक्त भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होता है। उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के गैर वानिकी प्रयोग से लिये के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति अनिवार्य है।

अतः आपको लिखा जाता है कि 0.0838 हैक्टेयर भूमि डाईवर्ट करने के ऐवज में आप 0.0838 हैक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम इंतकाल स्थानांतरित करवाकर सम्बन्धित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध करवायें ताकि आपके केस में आगामी कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करें कि आप द्वारा केवल उतनी ही भूमि का केस अपलाई किया गया है जितने क्षेत्र में आप द्वारा निर्माण कार्य इस समय किया जा रहा है।

for



वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी वन मण्डल,
पिंजौर।